

26/6/23

मंत्राधिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने पर पड़ावली काज पेग हुई। सरकार वि. मौर ह. पैरोमा (उप) सहायिका वि. तारिक पुनः प्रेश नही वि. गई है जबकि नियमानुसार सात दिवस में प्रेश करनी चाहिए थी। जो नही की गई है। जिसके फलस्वरूप है वि. प्राची द्वारा कर्ष 9 रूप 5 ली. पी. ली. में दिये जाये डिडेंशो की पालना नही वि. गई है। जो कवहेलन की सौती में काग है।

कतः इस आधार पर तहसीलदार नीमकाथाना (प्राची) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) एवं श्रुत राजस्व अधिनियम के तहत खारीज रिपा जाता है। पदावली विगत शुमार होवर नम्बर से कम होवर दारिद्र्य दम्बर लें।

(अनिल कुमार)

अतिरिक्त जिला फलफटर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

